

11/2/1

मू०प्र०सं० 73-55/20-5/2002,

भीपाल, दिनांक:

प्रतिनिधि:-

- 1/ आयुक्त, लोक शिक्षण म०प्र०भीपाल ।
- 2/ जिला शिक्षा अधिकारी ग्वालियर म०प्र० ।
- 3/ प्राचार्य, सेन्ट पीटर स्कूल टेकरी तहसील हबरा जिला-ग्वालियर
की ओर सूचनार्थ प्रेषित है ।

४

अवर सचिव

म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ. 73-55/20-5/2002,

प्रति,

भोपाल, दिनांक: 28-11-2012

✓ सचिव,
आई. सी. एन. ई. बोर्ड,
नई दिल्ली.

विषय:- अशासकीय लेन्ट पीटर स्कूल तिमिरिया टेकरी तहसील डबरा को आई. सी. एन. ई. नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनामत प्रमाण-पत्र बाबत ।

--o--

राज्य शासन द्वारा अशासकीय लेन्ट पीटर स्कूल तिमिरिया टेकरी तहसील डबरा को आई. सी. एन. ई. नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनामत प्रमाण पत्र विशेष पुरस्कार मानकर निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है :-

- 1/ संस्था को अपनी कार्य समिति में एक प्रतिनिधि जिला शिक्षा अधिकारी को स्वयं को या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना होगा तथा दूसरे प्रतिनिधि रहे के रूप में माध्यमिक शिक्षा मंडल के पंजीयक (परिष्ठा) को या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना अनिवार्य होगा।
- 2/ नीतिगत निर्णयों में इन दोनों मनोनीत सदस्यों को अग्रज आमंत्रित करना होगा।
- 3/ म.प्र. शासन द्वारा शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिये, लिये गये निर्णयों में यदि संस्था से किन्हीं कार्यों की अपेक्षा की जाती है तो ऐसे कार्यों को संस्था को करना होगा।
- 4/ खेलेकूद प्रतिस्पर्धियों में यदि संस्था चाहे तो मददगारता गृहण कर सकता है। परन्तु ऐसा न होने पर भी यदि म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग को उनके कितनी खेल परिसर या भवन की आवश्यकता पड़ती है तो उपलब्ध कराना होगा।
- 5/ राष्ट्रीय कार्यक्रमों को संचालित करने के लिये यदि संस्था भवन या स्टाफ की सेवाओं की आवश्यकता होगी तो इन्हें उपलब्ध कराना होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


अवर सचिव

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

निरन्तर 2..